बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

भारत निर्वाचन आयोग के निदेश के आलोक में आज दिनांक 15.02.2021 को बिहार राज्य की निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 16.12.2020 को निर्वाचक सूची का प्रारुप प्रकाशन किया गया था एवं दिनांक 16.12.2020 से दिनांक 11.01.2021 तक निर्वाचक सूची में नाम जुड़वाने, विलोपन, प्रविष्टियों में सुधार या एक ही विधानसभा में अपना मतदान केन्द्र बदलने के लिए दावा–आपत्ति प्रस्तुत किया जाना निर्धारित था। इस दौरान विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2021 में सक्रिय सहभागिता हेतु दिनांक 27.12.2020 एवं दिनांक 10.01.2021 को विशेष अभियान दिवस का आयोजन भी राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया गया। निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के उपरांत निर्वाचक सूची से संबंधित आंकड़े निम्नवत है :–

अर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर निर्वाचक सूची सांख्यिकी से संबंधित विवरणी :–

क्र० सं०	विषय	अर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर दिनांक 16.12.2020 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची की सांख्यिकी	अर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर दिनांक 15.02.2021 को निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन की सांख्यिकी	कुल वृद्धि
1	निर्वाचक की कुल संख्या	7,34,98,975	7,49,65,804	14,66,829
2	पुरूष निर्वाचक की कुल संख्या	3,86,40,933	3,93,88,722	7,47,789
3	महिला निर्वाचक की कुल संख्या	3,48,55,571	3,55,74,340	7,187,69
4	तृतीय लिंग निर्वाचक की कुल संख्या	2471	2742	271
5	निर्वाचक सूची का लिंगानुपात	902	903	1
6	18–19 आयुवर्ग के मतदाताओं की संख्या	4,70,915	9,40,090	4,69,175
7	कुल पंजीकृत मतदाता की संख्या	–	16,85,046	14,66,829
8	कुल विलोपित मतदाता की संख्या	–	2,18,217	
9	निर्वाचक सूची का EP Ratio	0.504	0.514	0.010
10	सेवा निर्वाचकों की संख्या	1,61,800	1,62,520	720

उल्लेखनीय है कि निर्वाचक सूची के अंतिम प्रकाशन के पश्चात निर्वाचक सूची में नाम जांच करने एवं सतत अद्यतीकरण प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने, विलोपन, प्रविष्टियों में सुधार या एक ही विधानसभा में मतदान केन्द्र बदलने के लिए आवेदन दिया जा सकता है। यह सुविधा वोटर हेल्पलाइन एप अथवा Voter Portal, nvsp.in में भी उपलब्ध है। निर्वाचक सूची में नाम जांचने हेतु अपने प्रखंड, अनुमंडल अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 का प्रयोग भी किया जा सकता है।

25 जनवरी, 2021 से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा e-EPIC (डिजिटल मतदाता फोटो पहचान पत्र) की सुविधा प्रदान की गयी है। इस सुविधा के तहत अर्हता तिथि 01.01.2021 के आधार पर निर्वाचक सूची में शामिल नये निर्वाचक जिनके द्वारा अपना यूनिक मोबाईल संख्या निर्वाचक विवरण के साथ उपलब्ध कराया गया है, वे e-EPIC (डिजिटल मतदाता फोटो पहचान पत्र) डाउनलोड करते हुए भौतिक रूप से संधारित कर सकते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी उसे अपने मोबाईल, लैपटॉप, कम्प्यूटर, डिजिलॉकर आदि में संधारित करते हुए उसका उपयोग कर सकते हैं।